



सत्यमेव जयते

राजस्थान राज-पत्र
विशेषांक

साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary

Published by Authority

माघ 10, सोमवार, शाके 1933--जनवरी 30, 2012
Magha 10, Monday, Saka 1933-- January 30, 2012

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये
(सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए)
सामान्य कानूनी नियम।

विधि एवं विधिक कार्य विभाग

(विधि ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 11, 2012

जी.एस.आर. 169:— विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 39) की धारा 28 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श के पश्चात् राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 को संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् —

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :— (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2011 है।

(2) ये राज-पत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 16 का संशोधन — राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण नियम, 1995 के नियम 16 में अभिव्यक्ति "रुपये 1,00,000 /— (रुपये एक लाख) के स्थान पर अभिव्यक्ति "रुपये 1.25 लाख (रुपये एक लाख पच्चीस हजार) प्रतिस्थापित की जावेगी।

[संख्या प. 8 (1)विधि-2/95]

प्रकाश गुप्ता,

राज्यपाल के आदेश से,

प्रमुख शासन सचिव।

LAW & LEGAL AFFAIRS DEPARTMENT**(Law Gr.2)****NOTIFICATIONS**

Jaipur, January 11, 2012

G.S.R.169:- In exercise of the powers conferred by Section 28 of the Legal Services Authority Act, 1987 (Central Act No. 39 of 1987); The State Government after consultation with the Chief Justice of the Rajasthan High Court hereby makes the following Rules further to amend the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995, namely :-

1. **Short title and commencement :-** (1) These Rules may be called the Rajasthan Legal Services Authority (Amendment) Rules, 2011
(2). They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
2. **Amendment of Rule 16 :-** In rule 16 of the Rajasthan State Legal Services Authority Rules, 1995 for the existing expression "Rs 1,00,000/- (Rupees one lakh)" the expression "Rs 1.25 lakh (Rupees one lakh & Twenty Five thousand)" shall be substituted.

[No. F.8(1)Law/Gr.2/95]**By Order of the Governor,**

प्रकाश गुप्ता,

Principal Secretary to the Government.